न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – रणजीत कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 242/2024

अन्तर्गत धारा 86 राज. काश्तकारी अधिनियम

राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व)श्रीगंगानगर

.......वादी

बनाम

1. गगनदीप सिंह पुत्र सोहनसिंह जाति जटसिख
2. जसदीप सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह जाति जटसिख
3. जसपालसिह पुत्र सन्ता सिंह जाति जटसिख
4. जसविन्द्र कौर पत्नि आत्मा सिंह जाति जटसिख
5. परगजीत सिंह पुत्र गुरसेवक सिंह जाति जटसिख
6. रविन्द्र सिंह पुत्र गुरपाल सिंह जाति जटसिख
7. लखविन्द्र कौर पनि गुरसेवक सिंह जाति जटसिख
8. सुखजीत कौर पुत्री आत्मा सिंह जाति जटसिख
9. सुखमन सिंह पुत्र गुरपाल सिंह जाति जटसिंख
10. सन्ता सिंह पुत्र निहाल सिंह जाति जटसिख
11. सोहन सिंह पुत्र हरचन्द सिंह जाति जटसिख

साकिन वीपीओ लाधुवाला तह. व जिला श्रीगंगानगर

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित– पैरोकार राज, तहसीलदार(राजस्व)श्रीगंगानगर (वादी)
प्रतिवादी स्वयं उपस्थित

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

दिनांक 27.01.2025

–:: निर्णय ::–

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार प्रार्थी गगनदीप सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख साकिन लाघूवाला के द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 25 एनएनपी के मु0 14 के सुयुक्त खाता के रकबा मे से अप्रार्थीगण रविन्द्र सिंह सुखमन सिंह पिसरान गुरपालसिंह जाति जटसिख साकिन लाधुवाला के द्वारा 3 हरे पेड बिना स्वीकृति के द्वारा काट लिये गये है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर भू अभिलेख निरीक्षक गणेशगढ व पटवारी हलका लाधूवाला को जाच हेतू नौका पर भेजा गया। भू० अभिलेख निरीक्षक गणेशगढ व पटवारी हल्का लाधूवाला के द्वारा दिनांक 11.11.2024 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 25 एलएनपी के मु० न० 14 के किला न. 03 में अप्रार्थीगण के द्वारा तीन पेड बबूल के जड़ से बिना स्वीकृति के काटे हुए पाये गये जिसकी लकडियो का अनुमानित वजन 22 क्वि० है । काटे हुए पेड की लकडियो को कुर्क कर कब्जा बहक सरकार लिया जा कर श्री नामित पुत्र निहाल सिंह जाति जटसिख साकिन लाधूवाला को सपुर्दगी मे दी जाकर फर्द मौका पर उतार करवाये गये। रुपुर्दगार को उक्त कुर्कशुदा लकडियो को खुर्द बुर्द नही करने हेतू पाबन्द किया गया। फर्द मौका कार्यवाही

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

दैनिक डायरी दिनांक 5.11.24 की प्रति संलग्न है। उक्त अवैध पेड बिना स्वीकृति के संयुक्त खातेदारी के रकबा मे से काटे गये है। जो नियमों के विरूद्ध है । जमावंदी की प्रति सलग्न है। दावा राज हित में हैं इसलिए को फिरा देय नहीं है। दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है।

तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया जाकर प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार प्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय में वृक्षों को काटने की बाबत प्रकरण चल रहा है जिस बाबत प्रार्थी यह निवेदन करना चाहता है कि उक्त वृक्ष अंधेरी आने के ारण टेडे हो गये थे तथा भी भी उक्त वृक्ष टूट सकते थे और कोई अप्रिय घटना हो सकती थी, जिस कारण प्रार्थी एवं गांव के वाशिंदों को कठिनाई हो रही थी, इसलिए प्राथी द्वारा उक्त वृक्षों को अपने स्तर पर काट दिया गया। प्रार्थी द्वारा आयंदा ऐसा कृत्य नहीं किया जायेगा और प्रार्थी उक्त वृक्षों के सम्बन्ध में जुर्माना भी माननीय न्यायालय में जमा करवाने हेतु तैयार है। प्रार्थी काटे गये पडों के सम्बन्ध में नये पेड लगा देगा।

—:: आदेश ::—

पैरोकार राज एवं अधिवक्ता प्रतिवादी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 86 आर.टी.ए. अनुसार प्रतिवादी द्वारा 3 पेड़ काटे गये हैं। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन से प्रतिवादी द्वारा उक्त 3 पैड़ों को काटा जाना साबित होता है। प्रतिवादी का प्रथम अपराध है, न्यायिक दृष्टि से प्रतिवादी का प्रथम अपराध मान कर न्यायहित में जुर्माना लगाया जाकर और इस सशर्त पर कि वह आयन्दा इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा वाद का निस्तारण किया जा सकता है। अतः प्रतिवादी कुल 3 हरे वृक्षों के 100/– रूपये प्रति वृक्ष के हिसाब से 300/– (तीन सौ रूपये) रूपये जुर्माने के अदा करे एवं काटे गये पेड़ों की संख्या से तीन गुणा पेड़ अन्य स्थान पर लगाये। प्रतिवादी से प्राप्त जुर्माना राशि 300/– रूपये राजकोष में जमा किया जावें। तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा 3 पेडो को निलाम कर प्राप्त राशि राजकोष में जमा करावे। प्रतिवादी आयन्दा इस प्रकार का अपराध करने बाबत निषिद्ध रहे।

तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से प्राप्त जुर्माना राशि 300/– रूपये राजकोष में जमा करवाकर चालान की प्रति कार्यालय में पेश करे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 27.01.2025 को जारी किया गया।

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner